उदाराम बनाम भगाराम
2019 / 00260
निर्णय दिनांकः—28.01.2025

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —प्रियंका कड़ेला आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः—2019 / 00260 दर्ज तिथिः—26.11.2019

1. उदाराम पुत्र आईदानराम
2. अणदाराम पुत्र आईदानराम
3. ठाकराराम पुत्र आईदानराम

जाति मेघवाल निवासी बूढे का तला,भलीसर तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. मगाराम पुत्र किशनाराम
2. खेमाराम पुत्र किशनाराम
3. हरजीराम पुत्र किशनाराम

जाति मेघवाल निवासी बूढे का तला,भलीसर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

4. तहसीलदार धोरीमन्ना

............अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री रिड़मलराम चौधरी
श्री मांगीलाल जयपाल
अप्रार्थीगणः—एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—28.01.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 527 / 1 / 9.4696 है0,नवीन खसरा 610 / 527 / 9.3240 है0 मौजा बूढे का तला पटवार हल्का भलीसर तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 527 / 2 / 9.4696 है0 वाके [illegible] बूढे का [illegible] पटवार मण्डल भलीसर, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है। [illegible] मूल [illegible]सरा संख्या 527 के ही भाग है जो कि पक्षकारान के मध्य विभा[illegible] [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 13:56:57 IST
Reason: Self Attested

2. इस प्रकार मूल खसरा संख्[illegible] 527 के [illegible] से प्रार्थी का जमाबंदी [illegible]ार खसरा संख्या 527 / 1 / 9.4696 है0,नवीन खसरा 610 / 527 / 9.3240 है0 त[illegible] [illegible]र्थी संख्या

सहायक कलेक्टर
SDO धोरीमन्ना

1 से 3 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 527 / 2 / 9.4696 है0 है। प्रार्थी एवं विप्रार्थी के बंटवारा के बाद लठ्ठा ट्रेस में तरमीम मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नहीं की गई। लठ्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मौजूदा कब्जे काश्त में भारी अन्तर है साथ ही लठ्ठा ट्रेस अनुसार 527 / 1 / 9.4696 है0.नवीन खसरा 610 / 527 / 9.3240 है0 का रकबा 0.3237 है0 कम तरमीम किया हुआ है । इससे प्रार्थी के कब्जे की खातेदारी भूमि पर नकारात्मक प्रभाव पडता है। असल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम मौके पर कब्जे काश्त के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण नोटिस विधिवत तामिली के बावजूद अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम तहसीलदार धोरीमन्ना के मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट–ब के आधार पर दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार धोरीमन्ना से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिशल की गई। तहसीलदार धोरीमन्ना के मौका रिपोर्ट दिनांक 18.04.2023 के अनुसार खसरा संख्या 527 / 1 / 9.4696 है0,नवीन खसरा 610 / 527 / 9.3240 है0 का रकबा 0.3237 है0 कम तरमीम किया हुआ है जिससे रेकर्ड में भिन्नता पाई गई। मौके पर प्रस्तावित विभाजन अनुसार कब्जा काश्त पाई गई है। संलग्न नक्शे में परिशिष्ट 'अ' के अनुसार वर्तमान रेकर्ड में तरमीम दर्ज है जबकि परिशिष्ट 'बी' के अनुसार तरमीम शुद्व करना प्रस्तावित की गई है।

5. तहसीलदार धोरीमन्ना के मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मूल खसरा 527 के विभाजन के समय जमाबंदी रेकर्ड अनुसार नवसृजित खसरा संख्या 527 / 1 / 9.4696 है0, वर्तमान नवीन खसरा 610 / 527 / 9.3240 है0 है लेकिन लठ्ठा ट्रेस अनुसार खसरा संख्या 527 / 1 वर्तमान खसरा 610 / 527 का रकबा 0.3237 है0 कम तरमीम किया हुआ है जिससे रेकर्ड में भिन्नता पाई गई। जिसे परिशिष्ट 'बी' अनुसार शुद्व करना प्रस्तावित किया गया है।

6. इस प्रकार तहसीलदार धोरीमन्ना के पत्र दिनांक 19.04.2023 के संलग्न मौका रिपोर्ट में मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड में लठ्ठा ट्रेस की वर्तमान तरमीम को परिशिष्ट 'अ' द्वारा तथा परिशिष्ट 'बी' के अनुसार तरमीम शुद्व करना प्रस्तावित किये जाने पर तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कितहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 18.04.2023 के अनुसार प्रस्तावित परिशिष्ट 'बी' के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं ।तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 18.04.2023 मिसल का भाग रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 13:56:57 IST
Reason: SelfAttested

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवायी जावें।

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

उदाराम बनाम भगाराम
2019 / 00260
निर्णय दिनांक:–28.01.2025

यह आदेश आज दिनांक 28.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(प्रियंका कड़ेला आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर
धोरीमन्ना–बाड़मेर

सहायक कलेक्टर
SDO धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 13:56:57 IST
Reason: SelfAttested